भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम।

(आदेश फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या–16/2018–19

केस का प्रकार :–नामान्तरण अपील

कमला देवी, पिता–स्व. मुनेश्वर ठाकुर एवं 04 अन्य .... अपीलकर्त्ता।

———बनाम———

राज्य सरकार, झारखण्ड (अंचल अधिकारी, घाटशिला) .... विपक्षी।

क्रमांक /तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गयी कारवाई
25.11.24	यह नामान्तरण अपील वाद के अपीलकर्त्तागण 1. कमला देवी, पिता–स्व. मुनेश्वर ठाकुर, 2. शिव नारायण ठाकुर, 3. राज कुमार ठाकुर, 4. मोहन ठाकुर, 5. सूर्यदेव ठाकुर, सभी के पिता–स्व. मुनेश्वर ठाकुर एवं स्व. नेपुर देवी, सभी पता–नुआगाँव, थाना–घाटशिला, जिला–पूर्वी सिहभूम के द्वारा अंचल अधिकारी, घाटशिला, जिला–पूर्वी सिंहभूम को पक्षकार बनाते हुए अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा नामान्तरण मुकदमा संख्या–259/R27/2018-19 में दिनांक–22.06.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया है। वाद की सुनवाई हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। इस कार्यालय पत्रांक–578/रा0, दिनांक–24.07.2018 के द्वारा अंचल अधिकारी, घाटशिला से निम्न न्यायालय अभिलेख (LCR) की की मांग की गयी, परन्तु निम्न न्यायालय अभिलेख (LCR) अप्राप्त है। वाद की सुनवाई में उभय पक्ष लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित है और न ही उनके अधिवक्ता की ओर से पैरवी की जा रही है। वादी एवं प्रतिवादियों को न्यायालय में उपस्थित हेतु नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु उभय पक्ष उपस्थित नहीं हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वाद में अपीलकर्त्ता एवं प्रतिवादी का कोई अभिरूची नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वाद की कार्यवाही जारी रखना औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त बिना किसी निर्णय के वाद की कार्यवाही **समाप्त** की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 25.11.24 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, घाटशिला। 25.11.24 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, घाटशिला।	

Digitally signed by NEET NIKHIL SURIN
Date: 2024.12.02 16:32:58 +05:30
Location: 192.168.1.33